

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/80830/2015  
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक : 22 JUL 2016

विषय:- प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर भामाशाह सर्विस डिलीवरी व्यवस्था के प्रदर्शन (Live Demonstration) एवं भामाशाह प्लेटफार्म से जुड़ी विभागीय योजनाओं से संबन्धित समस्या/शंका समाधान शिविरों के आयोजन बाबत।  
संदर्भ:- शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान द्वारा जारी पत्रांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 11.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक ब्लॉक में 25 जुलाई, 2016 से 5 अगस्त, 2016 के मध्य भामाशाह योजना प्लेटफार्म से लाभ हस्तान्तरण प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा आमजन को इस संबन्ध में आने वाली समस्याओं/शंकाओं के समाधान हेतु शिविर आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त शिविर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबन्ध में निम्न कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे :-

1. योजनान्तर्गत एक्टिव श्रमिकों को आधार का उपयोग बताते हुए इसकी संख्या का उपयोग महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु किये जाने तथा आधार का लिंकेज बैंक खाते के साथ किये जाने के संबन्ध में सहमति विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में प्राप्त कर इसका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट पर कराये जाने की व्यवस्था,
2. प्राप्त उक्त सहमति के आधार पर आधार का लिंकेज बैंक खाते के साथ कराये जाने की व्यवस्था,
3. रोजगार की मांग हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने तथा इसकी दिनांकित हस्ताक्षर की रसीद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था,
4. जॉबकार्ड में संशोधन/नये जॉबकार्ड जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की व्यवस्था,
5. श्रमिकों को किये जा चुके अथवा बकाया भुगतान की सूचना उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था,
6. सीबीएस बैंक में खाते खोले जाने की व्यवस्था।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस